



राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा  
अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010

फोन (0744)-2473003 फेक्स (0744)-2473033

क्र०: एफ(2)/प्रबंध मण्डल-45/2023/ 7891-05

दिनांक: 27.12.2023

माननीय सदस्य,  
प्रबंध मण्डल,  
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,  
कोटा

**विषय : प्रबंध मण्डल के 45वीं नियमित बैठक हाइब्रिड मोड (ऑन लाइन/ऑफ लाइन) के कार्यवाही विवरण के संबंध में ।**

महोदय/महोदया,

दिनांक 23.12.2023 (शुक्रवार) को हाइब्रिड मोड (ऑन लाइन/ऑफ लाइन) में सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के 45वीं प्रबंध मण्डल की नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से जारी कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)  
कुलसचिव एवं सचिव  
प्रबंध मण्डल

# राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा



प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	: 45वीं बैठक
स्थान	: कुलपति सचिवालय का सभा कक्ष
दिनांक	: 23 दिसम्बर 2023 (शनिवार)
समय	: प्रातः 11.30 बजे

दिनांक 23.12.2023 को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के प्रबंध मण्डल की 45वीं नियमित बैठक के कार्यवाही विवरण

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23.12.2023 को सम्पन्न हुई राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 45वीं नियमित बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे:—

1. श्री मनीष गुप्ता,	सदस्य (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, तक0शि0)
2. श्री आशिष शर्मा	सदस्य (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
3. श्री संत कुमार चौधरी	सदस्य
4. श्री संजीव बिहारी	सदस्य
5. अनिल कुमार अग्रवाल	सदस्य
6. प्रो. ए.के. द्विवेदी	सदस्य
7. प्रो. आर.एस. मीना	सदस्य
8. प्रो. जे.के. शर्मा	सदस्य
9. डॉ. शरद माहेश्वरी	सदस्य
10. डॉ. हरीश शर्मा	सदस्य
11. श्रीमती संजु तंवर	सदस्य
12. श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा,	सचिव
13. श्री धरमराज	विशेष आमंत्रित

सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करने के पश्चात समस्त माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया गया। सचिव, प्रबंध मण्डल द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय से आज्ञा लेने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यसूची विधिवत रूप से प्रारम्भ की गई।

**प्र.म. 45.01** प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।

श्री रामनारायण मीणा, माननीय पूर्व विधायक, श्री पाना चंद मेघवाल माननीय पूर्व विधायक डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. रमेश पचार द्वारा दिये गये योगदान की सराहना की जाती है। साथ ही प्रो. अनिल के माथुर एवं डा. ओंकारनाथ चतुर्वेदी द्वारा दी गयी सेवाओं की भी सराहना की जाती है।

प्रबंध मण्डल के सदस्यों की वर्तमान सूची माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत है।

प्र.म. 45.02

दिनांक 18 मई 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 44 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।

कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प

कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्र.म. 45.03

दिनांक 18 मई 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 44 वीं बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ

अनुसूची संख्या	विवरण	कार्यालय/अधिकारी
प्र.म. 44.01	प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।	अवलोकन किया गया
प्र.म. 44.02	दिनांक 24 दिसम्बर 2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 42 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदन किया गया
प्र.म. 44.03	दिनांक 28 जनवरी 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 43 वीं विशेष बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।	अनुमोदन किया गया
प्र.म. 44.04	दिनांक 24 दिसम्बर 2022 को हुई प्रबंध मण्डल की 42 वीं बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ	अनुमोदन किया गया
प्र.म. 44.05	दिनांक 28 जनवरी 2023 को हुई प्रबंध मण्डल की 43 वीं विशेष बैठक के कार्यपालना रिपोर्ट अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ	अनुमोदन किया गया।
प्र.म. 44.06	दिनांक 28.03.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 28वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन	अनुमोदन किया गया।
प्र.म. 44.07	सत्र 2023-24 से सिविल इंजीनियरिंग विभाग, यूडी, आरटीयू कोटा में M.Tech ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग शुरू करने का प्रस्ताव।	पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 से प्रारम्भ किया जावेगा।
प्र.म. 44.08	विश्वविद्यालय शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जारी डिग्री (विनियम) अधिसूचना दिनांक 01.03.2019 पर वित्त विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार 7वें वेतनमान की अर्हताओं से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन किये जाने के संबंध में अनुमोदन बाबत।	कार्यालय आदेश क्रमांक 2371-77 दिनांक 17.06.2023 जारी किया गया। (अनुलग्नक 45.3.1 पृष्ठ संख्या 16)
प्र.म. 44.09	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के रेगुलेशन दिनांक 01.03.2019 के अनुसार संकाय सदस्यों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के प्रारूप का अनुमोदन किये जाने के संबंध में।	कार्यालय आदेश क्रमांक 2364-70 दिनांक 17.06.2023 जारी किया गया। (अनुलग्नक 45.3.2 पृष्ठ संख्या 17)
प्र.म. 44.10	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के रेगुलेशन दिनांक 01.03.2019 के अनुसार कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के	कार्यालय आदेश क्रमांक 2378-84 दिनांक 17.06.2023 जारी किया गया।

	तहत पदोन्नति के लिए प्रफोर्मा एवं प्रफोर्मा के साथ संस्थागत स्तर, विभागीय स्तर एवं सामाजिक गतिविधियों की सूची का अनुमोदन	(अनुलग्नक 45.3.3 पृष्ठ संख्या 18)
प्र.म. 44.11	ए.आई.सी.टी.ई द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.05.2020 के मुद्दा संख्या 13 के स्पष्टीकरण पर वित्त विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार दिनांक 01.03.2019 से 28.02.2022 तक छठे वेतनमान की अर्हतों से सी.ए.एस. के तहत प्रमोशन हेतु विश्वविद्यालय शिक्षकों को विकल्प दिये जाने के संबंध में अवलोकन बाबत।	कार्यालय आदेश क्रमांक 2385-92 दिनांक 17.06.2023 जारी किया गया। (अनुलग्नक 45.3.4 पृष्ठ संख्या 19)
प्र.म. 44.12	कम्प्यूटर लेब एवं विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के लिए एयर कंडीशनर की खरीद किये जाने के संबंध में प्रस्तावत अनुमोदन बाबत।	प्रक्रियाधीन
प्र.म. 44.13	विश्वविद्यालय में योजना एवं विकास के लिए कार्य व्यवस्थार्थ डीन, प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट के पद का सृजन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव एवं संबंधित गतिविधियों का अनुमोदन बाबत।	अनुमोदन किया गया।
प्र.म.टी 44.01	दिनांक 15.05.2023 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 37वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन हेतु।	अनुमोदन किया गया।
प्र.म.टी 44.02	श्री मनोज कुमार जांगिड, सहायक कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के अंतर्गत निर्णय बाबत।	संयुक्त सचिव, त.शि. को लिखे गये पत्र संख्या 1758 दिनांक 26.5.2023 (अनुलग्नक 45.3.5 पृष्ठ संख्या 20)
प्र.म.टी 44.03	Guidelines under Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 in Rajasthan Higher Technical Quality Improvement Scheme.	कार्यालय आदेश क्रमांक 5597-5600 दिनांक 21.09.2023 जारी किया गया। (अनुलग्नक 45.3.6 पृष्ठ संख्या 21)
प्र.म.टी 44.04	माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 151 के क्रम में वित्त (नियम) अनुभाग, राजस्थान सरकार के दोनों आदेशों क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों (अभियांत्रिकी महाविद्यालय भरतपुर, झालावाड़, धौलपुर, करौली, बांरा एवं माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल व इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा) में अंगीकृत करने के सम्बंध में।	कार्यालय आदेश क्रमांक 2194-2202 दिनांक 13.06.2023 जारी किया गया। (अनुलग्नक 45.3.7 पृष्ठ संख्या 22)
प्र.म.टी 44.3(R)	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संघटक महाविद्यालयों के शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों का आमेलन करने के संबंध में जारी	अवलोकन किया गया।

उक्त कार्यपालना रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**संकल्प** कार्यपालना रिपोर्ट अनुमोदित की गयी।

**प्र.म. 45.04** दिनांक 17.10.2023 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 29वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

**संकल्प** कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**प्र.म. 45.05** विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/सेवारत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के Rajasthan Technical University GPF- Linked Pension Regulations, 2023 तथा Rajasthan Technical University General Provident Fund Regulations, 2023 अनुमोदन बाबत।

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.13(12)वित्त (नियम)/2021 दिनांक 20.04.2023 के द्वारा राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में जहां CPF/EPF लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत निर्देश जारी हुए। विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की 44वीं बैठक दिनांक 18.05.2023 के बिन्दु संख्या-44.4 द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु उक्त आदेश को अडाप्ट किया गया। विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक एफ (4)/स्थापना /ओपीएस/2023/3675-80 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा मैसर्स चिर अमृत, लीगल, एलएलपी, जयपुर को विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/सेवारत शैक्षणिक कार्मिकों के पेंशन एवं जीपीएफ रेगूलेशन बनाये जाने का कार्य दिया गया। फर्म द्वारा तैयार किये गये, विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त/सेवारत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों के Rajasthan Technical University GPF- Linked Pension Regulations, 2023 तथा Rajasthan Technical University General Provident Fund Regulations, 2023 माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

**संकल्प** माननीय सदस्यों द्वारा उक्त दोनों विनियमों का अवलोकन एवं अनुमोदन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों विनियमों को राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे।

**प्र.म. 45.06** Policy for forwarding the applications for employment elsewhere for Rajasthan Technical University, Kota teaching and non-teaching employees.

विश्वविद्यालय में कार्यरत नियमित शैक्षणिक/अशैक्षणिक कार्मिकों द्वारा अन्यत्र सेवा हेतु आवेदन किये जाते हैं एवं विश्वविद्यालय से आवेदन पत्र अग्रेषित करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं ।

इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा एक नीति (Policy) निर्धारित की गई है। माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरान्त वर्तमान में इसी नीति के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

अतः यह नीति प्रबंध मंडल की बैठक में अवलोकन हेतु प्रस्तुत की जा रही है

**संकल्प**

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत नीति में कुछ टंकण त्रुटियां पाई गई, टंकण त्रुटियों को सुधारते हुए नीति को अनुमोदित किया जाता है।

**प्र.म.45 T.1** दिनांक 15.12.2023 को सम्पन्न हुई विद्या परिषद की 38वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन हेतु।

दिनांक 15.12.2023 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की 38वीं विद्या परिषद की बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त विद्या परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

**संकल्प**

कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**प्र.म.45 T(R) 1** संघटक महाविद्यालयों के शिक्षकों को छठे वेतनमान के अंतर्गत आयोजित स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं की क्रियान्वित संपुष्टि हेतु।

संघटक महाविद्यालयों के शिक्षकों को सी.ए.एस हेतु छठे वेतनमान के अंतर्गत 6000-7000 तथा 7000-8000 नवीन एवं संशोधित एजीपी में पदोन्नति हेतु दिनांक 06.12.2023 को स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित की गयीं। अतः उपरोक्तानुसार स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन

समिति की सिफारिशों की क्रियान्विती हेतु निम्नांकित कार्यालय आदेश महाविद्यालय स्तर पर जारी कर दिये गये है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	कार्यालय आदेश का विवरण
01	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	जी.ई.सी.जे / 2023-24 / 283 दिनांक 08.12.2023
02	अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	एफ1(1) / जीईसीबीएस / 2023-24 / 2929 दिनांक 14.12.2023
03	एम.एल.वी.टी. एन्ड अभियांत्रिकी महाविद्यालय भीलवाड़ा	1. एफ.5 / ग्रेड. (जी) / 01 / सीएस / 2016 / 3172-80 दिनांक 19.12.2023 2. एफ.5 / ग्रेड. (जी) / 01 / सीएस / 2016 / 3188-94 दिनांक 19.12.2023 3. एफ.5 / ग्रेड. (जी) / 01 / सीएस / 2016 / 3181-87 दिनांक 19.12.2023

उपरोक्तानुसार की गयी क्रियान्विती / जारी आदेश माननीय सदस्यों के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प

प्रस्ताव का अवलोकन कर संपुष्टि की गई।

प्र.म.45 T(R) 2

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छठे वेतनमान के अंतर्गत आयोजित स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की अनुशंषाओं की क्रियान्वित संपुष्टि हेतु।

विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक: आरटीयू / एफ(4) / 2023 / 7196-7203 दिनांक 02.12.2023 के क्रम में शिक्षकों को सी.ए.एस हेतु छठे वेतनमान के अंतर्गत 6000-7000 तथा 7000-8000 एजीपी में पदोन्नति हेतु दिनांक 06.12.2023 को स्क्रीनिंग-सह-मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गयी। विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल की 42वीं बैठक दिनांक 24.12.2022 के बिन्दु संख्या 42.4 पर पारित संकल्प की पालना में जारी आदेश क्रमांक: एफ(2) / 2 / 2023 / 7529-31 दिनांक 08.12.2023 के अनुसार स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति की सिफारिशों की क्रियान्विती हेतु निम्नांकित कार्यालय आदेश जारी कर दिये गये है:-


- 1- No:RTU/F(4)Gr.1/ESTT/CAS/2023/ 7674-83 Date: 16.12.2023
- 2- No:RTU/F(4)Gr.1/ESTT/CAS/2023/ 7684-93 Date: 16.12.2023




उपरोक्तानुसार की गयी क्रियान्विति/जारी आदेश माननीय सदस्यों के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

**संकल्प** प्रस्ताव का अवलोकन कर संपुष्टि की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



(प्रो. एस. के. सिंह)  
कुलपति एवं अध्यक्ष  
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,  
कोटा



(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)  
कुलसचिव एवं सचिव  
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,  
कोटा

**POLICY FOR FORWARDING APPLICATIONS FOR EMPLOYMENT  
ELSEWHERE FOR RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY KOTA  
TEACHING & NON-TEACHING EMPLOYEES**

## 1. INTRODUCTION

These guidelines relate to forwarding of applications of Rajasthan Technical University, Kota Teaching and Non-Teaching employees for posts within the Central Government, State Governments, Autonomous/Statutory Bodies, CPSEs, etc.

It may be noted that in a case in which a particular employee cannot be spared without serious detriment to important work in hand, public interest would justify withholding of his application even if otherwise the application would have been forwarded. It may be added for information that where for good and sufficient reasons an application is withheld no infringement of any Constitutional right is involved.

## 2. GENERAL PRINCIPLES

All employees are under terms of their service, required to observe following norms for applying for other jobs in Government Organization or elsewhere.

- (i) The applications of the employees of the University shall be forwarded for employment outside the Institute only Four (4) times in a calendar year (January to December). However, in special circumstance more applications can be forwarded with the permission of Hon'ble Vice-Chancellor.
- (ii) Any employee of Rajasthan Technical University, Kota who wishes to undergo training or higher studies for one or more year outside the Institute will have to submit an undertaking that the he/ she will serve the Institute for at least the same duration of leave requested for the training or higher studies from the date of his/her joining the university after availing such leave. Relieving will not be done during this period even if he/she has applied earlier.
- (iii) Where an employee of Rajasthan Technical University, Kota (including a temporary employee) seeks permission, to apply for employment in private business, an industrial firm etc, he/she should submit his/her resignation or notice of retirement, as the case may be, before joining for private employment. He/She cannot complain of hardship if his/her application is withheld. While a person remains in service, the institute can legitimately refuse to surrender its claim on his/her services in favour of a private employer.



- (iv) Whenever an employee of Rajasthan Technical University, Kota goes to serve another Govt. Department, Institute etc. keeping his/her lien on the post held by him/her in Rajasthan Technical University, Kota, he/she will not be entitled to apply for outside job, without prior permission of Rajasthan Technical University, Kota.
- (v) No lien shall be retained for more than three years, on completion of three years, the employee shall either come back and take charge of his/her post or resign or take voluntary retirement. However, lien may be extending for two more years in special circumstances, on approval of Vice-Chancellor.
- (vi) An employee on lien shall remit his/her contribution towards Leave Salary contribution/PF/NPS etc. as may be applicable, every month regularly, without waiting for completion of this outside service, as such delay creates lot of administrative/accounting problems.
- (vii) An Employee, if promoted/financially upgraded/appointed and later joined in the University shall not be given the permission to apply outside the University for similar post at least next two years. However, the Vice-Chancellor of University may relax in exceptional cases on humanitarian grounds.
- (viii) All applications should be forwarded through proper channel, in case of shortage of time, advance copy can be sent with an immediate intimation. The forwarding of such applications from University will be as per rules. No application shall be forwarding during probation period.
- (ix) A permanent employee, having good promotion prospects is under a normal obligation to devote his whole-heartedly to the duties of his post, it will not be unjust if his application for other employment is withheld and not forwarded.
- (x) Application of temporary employees should not be withheld unless there are compelling grounds to be recorded and communicated to such temporary employee. Application from a temporary employee, who may have good prospects of being made permanent in due course, should be dealt with on merits.
- (xi) Employees who have been given some technical training at University expense should continue to service in University at least for the bond period and withholding of application in such a case is justifiable Board may decide the policy in such cases.
- (xii) Where an employee cannot be spared without serious detriment to important working hand, his/her application can be withheld.



### **3. Application for post advertised by UPSC/PSCs/Govt. Organizations**

A university employee can apply directly for the posts advertised by UPSC/PSCs/Govt. Organizations but should inform to University Authority. Subsequently, he/she should seek the permission for such appointment but before appearing for the interview.

### **4. Posts in National Institute/Central Universities**

- (a) The application from permanent, employee should accompany with an undertaking that he will either join back to the concerned Institutes/resign from post held by him in elsewhere after three years. This period may be extended for two years only in special circumstance on approval of Vice-Chancellor.
- (b) Temporary employee should give an undertaking to resign in the event of his selection and acceptance of the new appointment.

### **5. Foreign Assignments Against open advertisements**

- (a) The employee can apply with prior permission of the Chairman, Board of Management to be confirmed by the Board of Management.
- (b) If the time is short, an advance copy can be sent to the concerned organization with a copy to the Chairman, Board of Management for approval through proper channel.
- (c) Such employee shall not be considered as an official nominee of National Institute concerned.

### **6. Posts not Advertised or Circulated**

The application shall not be forwarded as the post not advertised or circulated by any Organization.

### **7. Registration with Employment Exchange**

Temporary employee can register with permission, but should resign when selected.

### **8. Permanent employee can register**

- (a) Only for higher post under the Government/Public Sector Undertaking.
- (b) On production of "No Objection Certificate", from the National Institute.
- (c) An undertaking that he will after the completion of three years of joining the new post either rejoin to the concerned Institute or resign.
- (d) When an employee rejoins his office, he will not be granted "No Objection Certificate" for a period of three years.

**9. Employee under Suspension or Charge Sheeted**

No application should be forwarded if the employee is under suspension or a charge sheet has been issued/filled in the court or sanction for his prosecution has been accorded.

**10. Employee whose conduct is under Investigation**

An application of an employee whose conduct is under investigation may be forwarded with brief comments on the nature of allegations and with a note that he would not be released if the employee is placed under suspension or a charge sheet is issued/filled in the court or sanction for his prosecution is accorded before his selection.

11. If any point not covered in above policy/guideline, University shall be governed by the relevant rules/guidelines of State Government issued from time to time.

